32

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय

"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

परिपत्र

दिनांक: 06/05/2021

सं. प्रनिलेप (के)/दावा –II/ युनिट -V/एचबीए/2021-22/

तैयार निर्मित घर/फ्लैट की खरीद एवं गृह के निर्माण या बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए गृह ऋण के स्थानांतरण (माईग्रेशन) के लिए "गृह निर्माण अग्रिम" हेतु इस कार्यालय के पदधारियों से आवेदन मंगाए जाते है।

1. सभी स्थाई सरकारी कर्मचारी पात्र हैं।
2. जिन पदधारियों की कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा रही हो।
3. भूमि का शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए।
4. सरकारी कर्मचारी को उनकी पूरी सेवा काल के दौरान केवल एक ही अग्रिम की मंजूरी दी जाएगी।
5. ऐसे मामलों में जहां पति-पत्नी दोनों केंद्र सरकारी कर्मचारी हैं और दोनों एच बी ए के अनुदान के लिए पात्र हैं, दोनों को संयुक्त/अलग रूप से अग्रिम स्वीकार्य होंगी।
6. अग्रिम की अधिकतम राशि मूल वेतन के 34 महिने के बराबर होगी बशर्तें कि पुनर्भुगतान क्षमता या गृह/फ्लैट की लागत या निर्माण की लागत या बैंक/अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए बकाया गृह ऋण की राशि या 25 लाख जो भी न्यूनतम हो।
7. पुनर्भुगतान क्षमता की गणना अधिकारी/कर्मचारियों के शेष सेवाकाल के आधार पर क्रमशः 40% मूल वेतन-मूल वेतन के 50% पर की जाएगी।
8. गृह निर्माण अग्रिम पर ब्याज की दर ऋण के संवितरण के समय लागू दरों के अनुसार होगी।
9. अग्रिम की राशि को तैयार निर्मित फ्लैट/गृह के मामले में एक मुश्त में और गृह निर्माण के लिए प्रत्येक के लिए 50 % पर दो किश्तों में संवितरित किया जाएगा।
10. तैयार निर्मित फ्लैट/गृह अग्रिम को आहरण से तीन महिने के अंदर राष्ट्रपति की ओर से सरकार के पास गिरवी रखना होगा। मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से गृह/फ्लैट या निर्माण की शेष लागत को पूरा करने के लिए दूसरे प्रभार की अनुमति दी जाएगी जो एचबीए के लिए आवेदन करते समय घोषित की जाए एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ आवेदित की जाए।
11. सरकारी कर्मचारी के मामले में बैकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से वर्तमान गृह ऋण से स्थानांतरण (माईग्रेशन) पर, दिनांक 01.05.2021 को बकाया ऋण राशि के लिए बैकों/अन्य वित्तीय संस्थानों से एक प्रमाणपत्र

आवेदन फॉर्म के साथ अनुलग्नित किया जाना चाहिए। एच बी ए जारी होने की तारीख से एक महिने के अंदर एच बी ए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

12. तैयार गृह/फ्लैट की खरीद के बाद या निर्माण की समाप्ति पर मान्यता प्राप्त बीमा संस्थानों से आग, बाढ़, बिजली आदि के लिए बीमा कराना चाहिए जो कि अग्रिम राशि से कम न हो।

13. एच बी ए की मदद से निर्मित/अर्जित गृह/फ्लैट को केवल आवासीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त करना चाहिए।

14. अधिकारी/कर्मचारी जो अग्रिम का उपभोग लेने के इच्छुक हैं वे 21 मई 2021 तक या उससे पहले अनुलग्नक में निर्धारित किए अनुसार अन्य दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करें, **संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन की केवल हार्ड कॉपी प्रस्तुत की जानी है।**

15. प्राप्त आवेदनों के आधार पर निधि की आवश्यकता की मांग मुख्यालय से की जाएगी।

(यह उपनिदेशक/प्रशासन के दिनांक 6.05.2021 के अनुमोदन से निर्गत किया जाता है।)

लक्ष्मी शंकर

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/दावा अनुभाग

प्रति

1. सूचना पट्ट/आर ए यूनिट
2. सभी अनुभाग – नियंत्रण अनुभाग कृपया पार्टी के सदस्यों को जानकारी भेज दें।
3. हिंदी अनुभाग को अनुवाद के लिए
4. वलेपअ /ईडीपी को इस कार्यालय के सभी पदधारियों को एसएमएस/इमेल भेजने हेतु तथा कार्यालयीन वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

एसएमएस मेसेज : वर्ष 2021-22 के दौरान गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन देने की अंतिम तिथि 21.05.2021है। आगे के ब्यौरें के लिए कृपया अपने कार्यालयीन मेल आयडी का संदर्भ लें।

<u>केवल निर्माण हेतु अग्रिम के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज</u>

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

2. निगम/नगर पालिका/पंचायत द्वारा अनुमोदित तथा अर्हता-प्राप्त अभियंता (सिविल) जो सहायक अधिशाषी अभियंता की रैंक से कम नही है, द्वारा हस्ताक्षरित बिल्डिंग प्लान एवं साईट प्लान।

3. फॉर्म -1 में उपरोक्त अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित अनुमान का सार।

4. फॉर्म -2 में उपरोक्त अभियंता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित ब्यौरेवार अनुमान।

5. बिल्डिंग अनुज्ञप्ति (लाईसेंस)/अनुज्ञा पत्र (मूल प्रति)

6. जी.ओ. द्वारा विधिवत साक्ष्यांकित विक्रय/उपहार/समझौता/विभाजन विलेख (अंग्रेजी संस्करण में मूल प्रति+ झेरॉक्स प्रति)

7.कब्जा प्रमाणपत्र।

8. 25 वर्षो से कम अवधि के लिए भूमी के संबंध में अद्यतन भार-रहितता प्रमाणपत्र।

9. गृह/संपत्ति की घोषणा (प्रतिलिपि)।

10. अग्रिम के पुनर्भुगतान से संबंधित प्रमाणपत्र (प्रतिलिपि)।

11. प्रस्तावित गृह के निर्माण हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमति (ओई (ए) द्वारा प्राप्त किए जाने हेतु।

12. नगर नियोजन न्यास/विकास प्राधिकरण का अनुमोदन।

13. सरकारी अधिवक्ता से शीर्षक स्पष्ट प्रमाणपत्र।